रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2015/माघ 15, 1936
No. 264] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2015 /MAGHA 15, 1936

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फ़रवरी, 2015

आय-कर

का.आ. 350(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 92गख और धारा 92घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय कर नियम, 1962 में,—

(अ) भाग 2 में, विशेष मामलों से संबंधित उप भाग घ में,-

(1) नियम 10 घ में,-

(क) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(2क) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, जहां तक यह नियम 10नजख में निर्दिष्ट किसी पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार से संबंधित है, नियम 10नजक में निर्दिष्ट किसी पात्र निर्धारिती के मामले में लागू होगी और उक्त पात्र निर्धारिती निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज रखेगा और बनाए रखेगा, अर्थात् :--

(i) निर्धारिती उद्यम के स्वामित्व ढांचे का विवरण और साथ ही दूसरे उद्यमों द्वारा उसमें धारित शेयरों और अन्य स्वामित्व हित का ब्यौरा ;

(ii) निर्धारिती के कारबार का और उस उद्योग का, जिसमें निर्धारिती कार्य करता है और उन सहयुक्त उद्यमों के, जिनके साथ निर्धारिती ने संव्यवहार किया है, कारबार का विस्तृत विवरण ;

(iii) प्रत्येक सहयुक्त उद्यम के साथ किए गए विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों की प्रकृति और निबंधन (कीमतों सहित) तथा ऐसे प्रत्येक संव्यवहार की मात्रा और मूल्य या ऐसे संव्यवहार का वर्ग ;

(iv) विनियामक आयोग के समक्ष कार्यवाहियां, यदि कोई हों, का अभिलेख और विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के संबंध में ऐसे आयोग के आदेश ;

(v) विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार की अंतरण कीमत अवधारित करने के लिए किए गए वस्तुत: कार्य का अभिलेख ;

(vi) पूर्वानुमान, नीतियां तथा कीमत परक्रामण, यदि कोई हों, जिन्होंने अंतरण कीमत के अवधारण को निर्णायक रूप से प्रभावित किया हो ;

(vii) कोई अन्य जानकारी, डाटा या दस्तावेज, जिसके अंतर्गत सहयुक्त उद्यम से संबंधित जानकारी या डाटा भी है, जो अंतरण कीमत का अवधारण करने के लिए सुसंगत हो ।";

(ख) उपनियम (3) में, "उपनियम (1)" शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, "उपनियम (1) और उपनियम (2क)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ग) उपनियम (4) में और उपनियम (4) के परंतुक में, "उपनियम (1) और (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "उपनियम (1) और उपनियम (2) और उपनियम (2क)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(घ) उपनियम (5) में, "उपनियम (1) और (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपनियम (1) और उपनियम (2) और उपनियम (2क)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(2) नियम 10न के पश्चात्, शीर्षक में, "सुरक्षित आश्रय नियम" शब्दों के स्थान पर, "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों के लिए सुरक्षित आश्रय नियम" शब्द रखे जाएंगे ;

(3) नियम 10नछ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों के लिए सुरक्षित आश्रय नियम"

10नज. परिभाषाएं-इस नियम और नियम 10नजक से नियम 10नजघ के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "समुचित आयोग" का वही अर्थ होगा जो विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2 की उपधारा (4) में है ;

(ख) "सरकारी कंपनी" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उपधारा (45) में है ;

10नजक. पात्र निर्धारिती- "पात्र निर्धारिती" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने नियम 10नजग के उपबंधों के अनुसार सुरक्षित आश्रय नियमों के लागू होने के लिए विधिमान्य विकल्प का प्रयोग किया है और विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण के कारबार में लगी हुई कोई सरकारी कंपनी है ।

10नजख. पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार- "पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार" से किसी पात्र निर्धारिती द्वारा किया गया कोई विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट हैं,-

(i) किसी उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत का प्रदाय ; या

(ii) विद्युत का पारेषण ; या

(iii) विद्युत का चक्रण ।

सुरक्षित आश्रय

10नजग. (1) जहां किसी पात्र निर्धारिती ने किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष में कोई पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार किया है और उक्त निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को नियम 10नजघ के अधीन विधिमान्य रूप से प्रयोग किया गया समझा गया है तो निर्धारिती द्वारा उक्त निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे संव्यवहार की बाबत घोषित की गई अंतरण कीमत को, यदि यह उपनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार है, तो आय कर प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जाएगा ।

(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार की बाबत उपनियम (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियां उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट होंगी :--

क्र. सं.	पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार	परिस्थितियां
1	2	3
1	नियम नजख की, यथास्थिति मद (i), (ii) या (iii) में निर्दिष्ट विद्युत का प्रदाय, विद्युत का पारेषण, विद्युत का चक्रण	यथास्थिति, विद्युत के प्रदाय, विद्युत के पारेषण, विद्युत के चक्रण की बाबत टैरिफ विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के उपबंधों के अनुसार समुचित आयोग द्वारा अवधारित किया गया है ।

(3) धारा 92ग की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अधीन तुल्यता समायोजन और मोक पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित और उपनियम (1) के अधीन स्वीकृत अंतरण कीमत के लिए नहीं किया जाएगा ।

(4) किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार की बाबत धारा 92घ और धारा 92ङ. के उपबंध इस तथ्य पर विचार किए बिना लागू होंगे कि निर्धारिती ने ऐसे संव्यवहार की बाबत सुरक्षित आश्रय के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया है ।

प्रक्रिया

10नजघ. (1) सुरक्षित आश्रय के लिए विकल्प के प्रयोग के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती, निर्धारण अधिकारी को सभी प्रकार से पूर्ण प्ररूप 3गड.चख सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में विनिर्दिष्ट देय तारीख को या उसके पहले देगा :

परंतु यह तब जब निर्धारिती द्वारा सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्ररूप 3गड.चख के दिए जाने की तारीख को या उससे पहले दे दी गई है :

परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2013 को प्रारंभ होने वाले या 1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किए गए पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों की बाबत निर्धारिती द्वारा प्ररूप 3गड.चख 31 मार्च, 2015 को या उससे पहले दिया जा सकता है ।

(2) प्ररूप 3गड.चख की प्राप्ति पर निर्धारण अधिकारी, इससे पहले कि निर्धारिती द्वारा सुरक्षित आश्रय के लिए विकल्प को विधिमान्य रूप से प्रयोग किया गया समझा जाए, यह सत्यापित करेगा कि क्या-

(i) विकल्प का प्रयोग करने वाला निर्धारिती पात्र निर्धारिती है ; और

(ii) वह संव्यवहार, जिसकी बाबत विकल्प का प्रयोग किया गया है, पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार है ।

(3) जहां निर्धारण अधिकारी को, निर्धारिती द्वारा सुरक्षित आश्रय के लिए विकल्प के विधिमान्य प्रयोग में संदेह है, तो वह निर्धारिती से लिखित सूचना द्वारा ऐसी जानकारी या दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे और निर्धारिती उन्हें ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर देगा ।

(4) जहां-

(क) निर्धारिती, निर्धारण अधिकारी द्वारा अपेक्षित जानकारी या दस्तावेज या अन्य साक्ष्य नहीं देता है ; या

(ख) निर्धारण अधिकारी यह पाता है कि निर्धारिती कोई पात्र निर्धारिती नहीं है ; या

(ग) निर्धारण अधिकारी यह पाता है कि वह विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार, जिसकी बाबत उपनियम (1) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग किया गया है, कोई पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार नहीं है; या

(घ) टैरिफ नियम 10नजग के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार नहीं है,

तो निर्धारण अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा उपनियम (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को अविधिमान्य घोषित करेगा और निर्धारिती पर उक्त आदेश की एक प्रति की तामील कराएगा :

परंतु निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को अविधिमान्य घोषित किए जाने का आदेश निर्धारिती को सुनवाई का एक अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।

(5) यदि निर्धारिती उपनियम (4) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा विकल्प को अविधिमान्य घोषित करने के विकल्प पर आक्षेप करता है तो वह निर्धारण अधिकारी के आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर अपने आक्षेप, यथास्थिति, उस प्रधान आयुक्त या आयुक्त या प्रधान निदेशक या निदेशक के समक्ष फाइल कर सकेगा, जिसका वह निर्धारण अधिकारी अधीनस्थ है ।

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट आक्षेप की प्राप्ति पर, यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त या प्रधान निदेशक या निदेशक, निर्धारिती को सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प की विधिमान्यता की बाबत या अन्यथा समुचित आदेश पारित करेगा और उक्त आदेश की एक प्रति निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी पर तामील कराएगा।

(7) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(i) निर्धारण अधिकारी द्वारा उपनियम (4) के अधीन कोई आदेश, उस मास के अंत से, जिसमें उसके द्वारा प्ररूप 3गड.चख प्राप्त किया गया है, तीन मास की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ;

(ii) यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त या प्रधान निदेशक या निदेशक द्वारा उपनियम (6) के अधीन आदेश, उस मास के अंत से, जिसमें उसके द्वारा नियम 5 के अधीन निर्धारिती द्वारा फाइल आक्षेप प्राप्त किया गया है, दो मास की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा ।

(8) यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त या प्रधान निदेशक या निदेशक, उपनियम (7) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई आदेश पारित नहीं करता है तो निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए सुरक्षित आश्रय के विकल्प को विधिमान्य समझा जाएगा ।' ;

(आ) परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं. 3गड.चअ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप सं. 3गड.चख

[नियम 10नचघ के उपनियम (1) देखिए]

विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों की बाबत सुरक्षित आश्रय के विकल्प के लिए आवेदन

सेवा में,
निर्धारण अधिकारी
....
महोदय/महोदया,

मैं आय कर नियम 1962 के नियम 10नज से नियम 10नजघ के साथ पठित आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 92गख के अधीन सुरक्षित आश्रय नियमों के विकल्प का प्रस्ताव करता हूं । इस संबंध में विशिष्टियां निम्नलिखित हैं :

1. साधारण :
   (क) निर्धारिती का पूरा नाम :
   (ख) स्थायी लेखा संख्यांक :
   (ग) निर्धारिती का पता :
   (घ) कारबार की प्रकृति या निर्धारिती के कार्यकलाप :
   (ड.) प्रास्थिति :
   (च) निर्धारण वर्ष :

2. पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार :

क्र. सं.	पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार की बाबत विशिष्टियां	टिप्पणियां
1.	क्या पात्र निर्धारिती ने नियम 10 नजख की मद (i) (ii) या मद (iii) में निर्दिष्ट विद्युत के प्रदाय, विद्युत के पारेषण या विद्युत के चक्रण की बाबत कोई भी विनिर्दिष्ट घरेलू	हां नहीं

	संव्यवहार किया है ? यदि हां, तो निम्नवत ब्यौरे दें (क) सहयुक्त उद्यम (एई) का नाम और पता, जिसके साथ पत्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार किया है ? (ख) पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार का विवरण । (ग) टैरिफ अवधारित करने वाले समुचित आयोग के सुसंगत आदेस के ब्यौरे । (घ) पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार की बाबत प्राप्त या प्राप्य/संदत्त या संदेय रकम । (ङ) क्या अंतरण कीमत नियम 10 नजग के अधीन विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार है ।	हांनहीं/

मैं घोषित करता हूं कि इसमें दी गई जानकारी सही और सत्य कथित है ।

स्थान :
तारीख :

भवदीय,
हस्ताक्षर
नाम
पदनाम/हैसियत
पता

टिप्पण 1 - सहयुक्त उद्यम का वही अर्थ होगा जो नियम 10क के खंड (क) में दिया गया है ।
टिप्पण 2- आवेदन का सत्यापन धारा 140 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।"।

[अधिसूचना सं.11/2015/फा. सं. 142/7/2014-टीपीएल]

आशीष कुमार, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक का.आ. 180(अ), तारीख 19-01-2015 द्वारा संशोधित किए गए ।